

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

## न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही


प्रार्थी/अपीलांत	बनाम	अप्रार्थी/रेस्पॉडेन्ट
श्री वीराराम पुत्र श्री मोतीजी जाति रेबारी निवासी मूरी तहसील पिण्डवाड़ा जिला सिरौही।		सरकार जरिये तहसीलदार पिण्डवाड़ा

किस्म मुकदमा- प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा  
5 म्याद अधिनियम

मुकदमा नं. 212 वर्ष 2020

दिनांक हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
11.11.2020	प्रार्थी ने यह प्रार्थना-पत्र नायब तहसीलदार पिण्डवाड़ा के मुकदमा सं. 15/2020 में पारित आदेश दिनांक 17.08.2020 के विरुद्ध धारा 75 एल.आर.एक्ट के तहत अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी की अवधि को कण्डोन कराने हेतु यह प्रार्थना-पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम के तहत पेश किया प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 28.12.2020 को पेश हो ।	
28.12.2020	अपीलांत/प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त हुआ। नोटिस तामिलशुदा प्राप्त हुआ। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। अपीलांत द्वारा अपील को प्रस्तुत करने में कोविड-19 के कारण देरी होना बताया गया है जो सद्भावनापूर्ण पाया जाता है। अतः अपीलांत/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील को प्रस्तुत होने में हुई विलम्ब की अवधि को कण्डोन करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	

  
जिला कलक्टर, सिरौही

  
(भगवती प्रसाद)  
जिला कलक्टर, सिरौही

